...ना तिजारा, जिला - अलवर

A-2/3

भारतीय मानक ब्यूरो बनाम आर.एस. ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23 | 365/17

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए प्रतिहस्ताक्षर
02/11/2017	परिवादी अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्त रोहित झाम्ब मय अधिवक्ता उपस्थित । इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना-पत्र पेश किया । जिस पर अधिवक्ता परिवादी द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम अधिनियम 1986 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप स्वीकार कर क्षमा चाही । अतः उपरोक्त अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त श्री रोहित झाम्ब को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का दोषी करार दिया जाता है। सजा के बिंदु पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा । परिवादी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में नो ऑब्जेक्शन किया । उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावलि का अवलोकन किया गया । मामले के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त रोहित झाम्ब पुत्र मदन लाल, प्रोपर्टी राइटर 5738, मुन्सिबाड़ा, जिला- भिवाड़ी (हरियाणा) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा (अलवर) राज मैं रोहित झाम्ब, उक्त प्रकरण में अपनी स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करता हूँ। मेरे उपर कोई दबाव नहीं है। मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ [signature] 2 Nov 17 [signature] जुर्म स्वीकार करता है तो No objection [signature]

Left margin (stamp, handwritten entries): ...न्यायालय ... प्रतिलिपि ... तिजारा (अलवर) मु.नं. 365/17 ... भारतीय मानक ब्यूरो बनाम ... तारीख पेशी फैसला 02.11.17 ...

HPBO SKK SCC-E) ... officer

प्रस्तुत

SKR pr. examine ... 2017

वरिष्ठ न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा (अलवर) राज.

भारतीय मानक ब्यूरो
जयपुर शाखा कार्यालय, जयपुर
20 DEC 2017
क्र. 1232

मुख्य प्रतिलिपि कार

(21)

सिविल न्यायाधीश एवं ... मजिस्ट्रेट, तिजारा (अलवर) राज.

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा (अलवर) राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर पत्र	[illegible]
	आदेश की पालना में अर्थदण्ड की राशि 5000 रू जरिए रसीद सं. 3/7[illegible] दिनांक 02/11/2017 जमा कराई गई। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) विशिष्ट न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा (अलवर) राज.	

तिजारा (अलवर) राज.

1. नम्बर प्रा. पत्र स. 5665
2. दिनांक प्रा. पत्र 03.11.17
3. पृष्ठ संख्या [illegible]
4. नकल फीस 02
5. प्रतिलिपि शुल्क 3-00
6. साधारण/आवश्यक (2)
7. तारीख तैयारी प्रतिलिपि [illegible]
8. नोटिस जारी करने की तारीख 07.11.17
9. प्रतिलिपि जारी करने की तारीख 7/11/17